

पत्रांक : 10/न 4 - 26/10
विहार सरकार
गानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

ऑकार नाथ आर्य,
उप सचिव,

सेवा में

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेटर,
नई दिल्ली - 1100921

पटना, दिनांक :-

विषय

किंडस कैम्प इंटरनेशनल स्कूल, ग्राम - नरौलीसेन, पो- विन्दा,
थाना+प्रखण्ड - मुशहरी, जिला - मुजाफरपुर को अनापति प्रमाण-पत्र
निर्गत करने के संबंध में।

मसाशब्द:

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशाभ्यासार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना सं0 - 238 दिनांक - 03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजाफरपुर से प्राप्त प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा ही गई तथा किंडस कैम्प इंटरनेशनल स्कूल, ग्राम - नरौलीसेन, पो- विन्दा, थाना+प्रखण्ड - मुशहरी, जिला - मुजाफरपुर को सी0वी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबंद्धता हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षापरान्त रिपोर्ट निम्नलिखित है :-

- यह विद्यालय ग्रन्त एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी के अधीन संचालित है। इस द्रष्टव्य में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाईटी के प्रत्येक सदस्य का व्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
- विद्यालय ने किसी निवेदित सोसाईटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
- विद्यालय को सी0वी0एस0ई0 के मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड को रक्षण निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं।
- विद्यालय में शिक्षक कि नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता वरती गयी हो। विद्यालय में 20 शिक्षक हैं। सी0वी0एस0ई0 नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंडों के अनुरूप है।
- विद्यालय में हन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
- विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करें। इससे सी0वी0एस0ई0 नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
- विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना सं0 - 238 दिनांक - 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार हैं।

अपेक्षित शर्तें के अनुसार :-

- विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोश में नियास करने वाले वच्चों का निःशुल्क किया जाएगा तथा उनसे दृश्यों शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का


Manager
Kids Camp International School
Narauli Sen, Binda
Muzaffarpur (Bihar)


Principal
Kids Camp International School
Narauli Sen, Binda
Muzaffarpur-843119

- शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे बच्चों की ओरी ने अनु०जाति, अनु०जनजाति, पिछ़का यर्ग, अत्यस्थियक, विकलाग घासिकाए तथा सामान्य भेंटी की पौरीपार जिनकी आप अधिकतम ००.०००/- -८० प्रति वार होंगे को रखा गया है।
- (ii) लिटॉलॉग में नरौली / को०जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए जिरी तरह फी प्रवेश परीक्षा / सामात्कार (बच्चों एवं गाता / पिता रहित) नहीं लिया जाएगा। अगर नामांकन को लिए आयेदन निर्धारित कागजा रो अधिक हो तो खुल तरिका से Draw of Lots के पाठ्यग्रंथ से नामांकन को लिए बच्चों का चयन किया जाएगा।
- (iii) नरौली / को०जी० तथा प्राथमिक वक्षाओं को लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आयांस यीं दूरी अधिकतम एक किलोमी० एवं उच्च प्राथमिक तथा गाथ्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमी० तक रहेंगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है, उनसे लिई गई आयेदन शुल्क का ८० प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि की विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है फिर भी सी०यी०१०८०५० नई दिल्ली अपने रत्न रो जौंच कर सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित याप दड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोसर्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उत्तरांधन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जाएगा तथा संबंधन रद करने की कार्रवाई की जाएगी।

10. विभागीय पत्रांक - ४६ दिनांक - १०.०१.२००८ द्वारा शिक्षक / छात्रों को शारीरिक दंड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय दिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु विरी भी समय खुला रहेगा।

12. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर किड्स कैम्प इंटरनेशनल स्कूल, ग्राम - नरौलीसेन, पो० - विन्दा, थाना-प्रखण्ड - मुशहरी, जिला - मुजफ्फरपुर को सी०यी०१०८०५० नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दी जाती है। अनु०- जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर का जौंच प्रतिवदन सलान।

विश्वासभाजन

४०/-

(ओंकार नाथ आर्य)

उप सचिव

पटना, दिनांक :

ज्ञापांक :

प्रतिलिपि - जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक : २०२२ दिनांक: १०.०६.१० के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

४०/-

(ओंकार नाथ आर्य)

उप सचिव

पटना, दिनांक २९/६/१०

ज्ञापांक ५८

प्रतिलिपि - प्राचार्य, किड्स कैम्प इंटरनेशनल स्कूल, ग्राम - नरौलीसेन, पो० - विन्दा, थाना-प्रखण्ड - मुशहरी, जिला - मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

२९/६/१०

(ओंकार नाथ आर्य)

उप सचिव

Manager
Kids Camp International School
Narauli Sen, Binda
Muzaffarpur (Bihar)

Rupali
Principal
Kids Camp International School
Narauli Sen, Binda
Muzaffarpur-843119